हुक्म	
21.10.19	पत्रावली पेश हुई उभयपक्ष उपस्थित अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 के काउंटर प्रार्थना-पत्र का जवाब प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत किया गया प्रार्थीगण ... अप्रार्थीगण ... प्रस्तुत पत्रावली वास्ते बहस प्रार्थना-पत्र हेतु पत्रावली दिनांक 4-11-19 को पेश हो
4.11.19	पत्रावली पेश हुई अधिवक्तागण न्यायिक कार्य से नहीं होने पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 4.12.19 को पेश हो
4.12.19	पत्रावली पेश हुई। पत्रावली वास्ते बहस आगामी दिनांक 11-12-19 को पेश हो
11-12-19	पत्रावली पेश हुई पत्रावली वास्ते बहस अन्तिम मौका दिया जाकर पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 12-12-19 को पेश हो
12.12.19	पत्रावली पेश हुई पीठासीन PO माननीय अवकाश में होने के कारण पत्रावली वास्ते बहस आगामी दिनांक 31-12-19 को पेश हो
31.12.19	पत्रावली पेश हुई पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 06-1-20 को पेश हो
06-1-20	पत्रावली पेश हुई उभयपक्ष में प्रतिवादी उपस्थित पत्रावली वास्ते बहस 7-1-20 को पेश हो
7-1-20	पत्रावली पेश हुई ... उपस्थित पत्रावली वास्ते बहस दिनांक [illegible] को पेश हो
13.01.20	पत्रावली प्रस्तुत हुई उभयपक्ष उपस्थित ... बहस समाप्त ... ने कथन किया कि उन्होंने धारा 88, 188 RTA के तहत एक मूल वाद श्रीमान न्यायालय में दायर कर रखा है, जो कि विचाराधीन है। प्रार्थना पत्र की चरण सं. 2 में वर्णित भूमि हमारी काश्तकारी तक की है

Signature Not Verified
Digitally signed by Parwat Singh Chundawat
Date: 2021.10.23 12:07:41 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

उक्त कुल 74 बिघा 7 बिस्वा में हमारा ½ हिस्सा है। ख.नं. 554/399 व 614/399 में प्रतिवादी सं.1 से 9 ने 29.03.18 को अवैध कब्जा करने की नियत से प्रवेश कर लिया तथा हमारे कब्जे काश्त में रुकावट उत्पन्न की। इन्होंने काउन्टर क्लेम भी प्रस्तुत किया है, जिसके समर्थन में कोई दस्तावेज भी नहीं लगाया है। हम रिकॉर्डेड खातेदार है। अतः इन्हें जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा के पाबन्द किया जावे की आ.नं. 554/399 व 614/399 में अनाधिकृत प्रवेश न करें, अतिक्रमण न करें, न ही हमारे कब्जे काश्त में व्यवधान पैदा करें तथा न ही कोई निर्माण कार्य करें। हमने हमारे तथ्यों के समर्थन दस्तावेज संलग्न किये हैं, जो पत्रावली पर उपलब्ध है।

अप्रार्थी ने कथन किया आ.नं. 614/399, 615/399, 616/399 कुल 12 बिघा 10 बिस्वा भूमि पर हमारा बाप दादाओं के समय से कब्जा है, उक्त पर हमारे मकान बने हुए हैं, मूल वाद में फोटो भी मौके के संलग्न किये हैं। पुरानी खसरा गिरदावरी में हमारा कब्जा काश्त होने का उक्त तीनों आराजीयात में अंकन है। हमारा प्रतिदावा भी है, जो पत्रावली पर है, अतः प्रार्थीयों को पाबन्द किया जावे की वे हमारे शांतीपूर्ण कब्जे काश्त में, जो कि बाप दादाओं के समय से चला आ रहा है, में कोई रुकावट, दखल अथवा व्यवधान पैदा ना करें।

मैने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों व वकुलाय द्वारा प्रस्तुत बहस पर मनन किया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आ.नं. [illegible] पर कब्जा होने संबंधी कथन को अप्रार्थी ने [illegible] किया है, न ही उक्त आराजी संबंधी कोई विवाद का कथन किया है, लेकिन आ.नं. 614/399 पर विवाद है, उक्त आ. पर प्रतिदावा भी अप्रार्थी ने लगाया है। प्रार्थी उक्त आराजीयात खं. 614/399 का ½ हिस्से की

Signature Not Verified
Digitally signed by Parwat Singh Chundawat
Date: 2021.10.23 12:07:41 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व अहकाम हुक्म की ... में जारी
	खातेदार कृषक दर्ज है तथा खातेदार को उसे काश्त करने के अधिकार से वंचित किया जाना उचित नहीं है। अतः आदेशित किया जाता है कि प्रतिवादी सं. 1 लगायत 9 प्रार्थी के आराजी नं. 614/393 में कब्जे काश्त में कोई दखल न दे, न ही उक्त पर कोई निर्माण करे। अप्रार्थी सं. 1 से 9 को उक्त आराजी के संबंध में जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है। पत्रावली में निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो नकल से कम की जावे।	

Signature Not Verified

Digitally signed by Parwat Singh Chundawat
Date: 2021.10.23 12:07:41 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner